ग्राम पंचायत करयाली, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला, के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

1 **प्रस्तावनाः—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत करयाली, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः—

प्रधान

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुरेश हिमराल	01.04.2014 से 22.01.2016
2	श्रीमती सुनीता गायत्री	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्र0सं	नाम	अवधि
1	श्री रवि कुमार	1.4.2014 से 27.4.2016
2	श्री तारा सिंह ठाकुर	27.4.2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत करयाली के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	5 (क)	राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन/गबन	3.63
2	5 (ख)	राशि को बैंक में कम जमा करना	0.05
3	5 (ग)	हस्तगत राशि को कम दर्शाना	0.05
4	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष होना	0.86
5	7	ब्याज की हानि	0.13

6	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	6.47
7	9	भण्डारण प्रविष्टियाँ न करना	6.90
8	10	निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि की जाँच सम्भव न हो पाना	6.55
9	11	व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना	0.60
10	13	अनुदान राशि का उपयोग न करना	1.50
11	14	वर्गीकृत सार रजिस्टर तैयार न करना	—

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत करयाली, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री सोम राज कपूर, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 31.8.2017 से 11.9.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 5/14, 3/16, 3/17 तथा 2/15, 9/15 व 3/17 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत करयाली विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6800 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या फिन(एल0ए0)एस0आर0के0/05 दिनांक 4.9.2017 द्वारा व अधियाचना संख्या फिन(एल0ए0)एस0आर0के0/15 दिनांक 11.9.2017 द्वारा अनुरोध किया गया, जिनकी अनुपालना में पंचायत द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के ड्राफ्ट संख्या 034821 दिनांक 6.9.2017 के

अन्तर्गत मात्र ₹6000 की राशि ही निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमाला–171009 को प्रेषित की गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत करयाली, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका निधि वार विवरण निम्न प्रकार "ब" व "स" पर तथा माह वार आय–व्यय का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क ख"** पर दिया गया हैः–

(अ)

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014–15	660583.36	3745852.00	4406435.36	3201170	1205265.36
2015–16	1205265.36	2563355.50	3768620.86	2578485	1190135.86
2016–17	1190135.86	6427653.00	7617788.86	4781668	2836120.86

(ब) अनुदान तथा स्वः स्त्रोतः–

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014–15	660475.36	1726009.00	2386484.36	1181452	1205032.36
2015–16	1205032.36	2053543.50	3258575.86	2068440	1190135.86
2016–17	1190135.86	3485540.00	4675675.86	1839555	2836120.86

रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को शेष ₹2836120.86

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि का विवरण

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**जमा राशि**
1	हि0प्र0रा0स0 बैंक, समिति, जलोग	46610100173	924280
2	–यथोपरि–	46610100174	1312177
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, करयाली	55138273214	80519.80
4	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ड्राल	65281568343	333960
5	हि0प्र0रा0स0 बैंक, समिति, सुन्नी	44110105704	96.56
6	हस्तगत रोकड़	–	742
	कुल वास्तविक जमा		2651775.36
	सम्भावित दुर्विनियोजन (कृपया पैरा संख्या 5 (क), ख व (ग) का अवलोकन करें)		373363.50
	दिनांक 31.3.2017 को अपेक्षित जमा		3025138.86
	अन्तर		₹189018

बैंक समाधान विरणीः–

क्र0सं0	**विवरण**	**(+)**	**(–)**
1	दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष	2836120.86	–
2	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सुन्नी द्वारा खाता	–	325

	संख्या 44110105704 के काटे गये बैंक व्यय जिनकी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई **(परिशिष्ट "ङ")**		
3	हस्तगत राशि का अधिक एवम गलत शेष आगे ले जाना कृपया **परिशिष्ट "ङ"** का अवलोकन करें	765	—
4	बैंक प्राप्ति को रोकड़ बही में कम दर्ज करना **परिशिष्ट "ङ"**	270	—
5	बैंक प्राप्तियाँ जिन्हें रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया **परिशिष्ट "ङ"**	219108	—
6	चैक जारी किया गया परन्तु रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया **परिशिष्ट "ङ"**	—	42000
7	रोकड बही में अधक व्यय दर्शाया गया **परिशिष्ट "ङ"**	3200	—
8	दिनांक 27.3.2017 को चैक जारी किये गये परन्तु दिनांक 31.3.2017 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुये **परिशिष्ट "ङ"**	8000	—
9	दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि व हस्तगत रोकड़ का शेष	—	2651775.36
10	सम्भावित दुर्विनियोजन (कृपया पैरा संख्या 5 (क) (ख) व (ग) का अवलोंकन करें)	—	373363.50
	कुल	**3067463.86**	**30674963.86**

(स) मनरेगाः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिमशेष
2014—15	108	2019843	2019951	2019718	233
2015—16	233	509812	510045	510045	0
2016—17	0	2942113	2942113	2942113	0

5 (क) ₹3.63 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजन/गबनः—

जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों को रोकड़ बही में हस्तगत राशियों के कम शेष दिखाये गये व बैंक से निकाली गई राशि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया तथा न ही जमा के रूप में रोकड़ बही में दर्शाई गई राशि की अंकेक्षण तिथि तक किसी भी बैंक खाते में जमा प्रविष्टि दर्शाई गई जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹363408.50 पंचायत निधि में कम जमा पाई गई, जिससे प्रतीत होता है कि इस राशि का दुरूपयोग अथवा दुर्विनियोजन/गबन किया गया है। अंकेक्षण के दौरान इस प्रकरण की आवश्यक छानबीन करके स्थिति स्पष्ट करने हेतु वर्तमान पंचायत सचिव को अधियाचना संख्या फिन (एल0ए0)एस0आर0के0/07 दिनांक 4.9.2017 द्वारा अवगत करवाया गया परन्तु

अंकेक्षण समाप्ति की तिथि तक किसी प्रकार का उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस सम्पूर्ण प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुये मामले की विस्तृत जाँच की जाये तदानुसार कम जमा राशि की वसूली दण्ड ब्याज सहित उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा किया जाये अन्यथा औचित्य स्पष्ट किया जाये।

दिनांक	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**विवरण**	**सम्भावित दुर्विनियोजन / गबन की राशि**	**टिप्पणी**
23.6.2014	07	हस्तगत रोकड़ का कम शेष दिखाना	69561	दिनांक 23.6.2014 को हस्तगत रोकड़ का अन्तिम शेष ₹283135 था परन्तु यह ₹213574 दिखाई गई तथा आगामी तिथि में ₹213574 को ही प्रारम्भिक शेष के रूप में दर्शाया गया
14.7.2015	08	रोकड़ बही में बैंक में जमा राशि की प्रविष्टि दिखाना	49000	दिनांक 14.7.2014 को हस्तगत रोकड में से ₹49000 बैंक में जमा किये हुये दर्शाये गये परन्तु उक्त राशि की जमा प्रविष्टि किसी भी बैंक खाते में दिनांक 31.3.2017 तक नहीं पाई गई
16.7.2014	09—10	हस्तगत रोकड़ का कम शेष दिखाना	27000	दिनांक 16.7.2014 को हस्तगत रोकड़ का अन्तिम शेष ₹265788 था परन्तु यह ₹238788 दिखाई गई तथा आगामी तिथि में ₹238788 को ही प्रारम्भिक शेष के रूप में दर्शाया गया
09.08.2014	—	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, सुन्नी के खाता संख्या 44110105704 से चैक संख्या 920761 द्वारा निकासी	72900	दिनांक 9.8.2014 को चैक द्वारा निकाली गई राशि को न तो रोकड़ बही में बैंक से किसी के रूप में दर्ज किया गया और न ही किसी प्रकार का व्यय प्रमाणक अंकेक्षण मे प्रस्तुत किया गया
19.12.2014	21	हस्तगत रोकड़ का कम शेष दिखाना	98000	दिनांक 19.12.2014 को हस्तगत रोकड़ का अन्तिम शेष ₹460651 था परन्तु यह ₹362651 दिखाई गई तथा आगामी तिथि में ₹362651 को ही प्रारम्भिक शेष के रूप में दर्शाया गया
21.1.2015	26	हस्तगत रोकड़ का कम शेष दिखाना	37500	दिनांक 21.1.2014 को हस्तगत रोकड़ का अन्तिम शेष ₹501805 था परन्तु यह ₹464305 दिखाई गई तथा

				आगामी तिथि में ₹464305 को ही प्रारम्भिक शेष के रूप में दर्शाया गया।
12.2.2015	29	हस्तगत रोकड़ का कम शेष दिखाना	2500	दिनांक 12.2.2015 को हस्तगत रोकड़ का अन्तिम शेष ₹117523 था परन्तु यह ₹115023 दिखाई गई तथा आगामी तिथि में ₹115023 को ही प्रारम्भिक शेष के रूप में दर्शाया गया
23.1.2016	53	रोकड़ बही में बैंक में जमा राशि की प्रविष्टि दिखाना	6947.50	दिनांक 23.1.2016 को हस्तगत रोकड़ में से ₹6947.50 बैंक में जमा किये हुये दर्शाये गये परन्तु उक्त राशि की जमा प्रविष्ट किसी भी बैंक खाते में दिनांक 31.3.2017 तक नहीं पाई गई।
		कुल	**363408.50**	

(ख) ₹5455 को बैक में जमा न करनाः—

जाँच में पाया गया कि ₹5455 दिनांक 10.10.2016 को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 83 पर जमा के रूप में दर्शाई गई लेकिन अंकेक्षण की तिथि तक किसी भी बैंक खाते में इस राशि की जमा प्रविष्टि नहीं पाई गई जिससे प्रतीत होता है कि इस राशि को बैंक में जमा न करके इसका दुरूपयोग किया गया है। अतः राशि को बैंक में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी वसूली दण्ड ब्याज सहित उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाया जाये।

(ग) ₹4500 कम हस्तगत रोकड़ के रूप में दर्शानाः—

जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 99 पर निम्न विवरणानुसार प्रारम्भिक हस्तगत रोकड़ शेष में प्राप्तियों को जोड़ने के उपरान्त ₹5242 नकद शेष के रूप में थी जिसमें से राशि के किसी भाग को न तो बैंक में जमा किया गया और न ही किसी प्रकार का व्यय किया गया जबकि तिथि के अन्त में ₹5242 के स्थान पर ₹742 ही हस्तगत राशि के अन्तिम शेष के रूप में दर्शाई गई तथा आगामी तिथि में भी ₹742 प्रारम्भिक हस्तगत शेष के रूप में अंकित की गई। अतः हस्तगत राशि का कम शेष लिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जायेः—

दिनांक	रोकड़ बही पृ0सं0	हस्तगत राशि का प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	कुल हस्तगत राशि	व्यय	हस्तगत राशि का वास्तविक अन्तिम शेष	रोकड़ बही में हस्तगत राशि का दर्शाया गया अन्तिम शेष	हस्तगत राशि का कम दर्शाया गया शेष
31.3.17	99	294	4948	5242	शून्य	5242	742	4500

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 1.4.2014 से पूर्व की रोकड़ बही की विस्तृत जाँच की जानी अपेक्षित है।

6 पंचायत राजस्व ₹0.86 लाख का वसूली हेतु शेष होनाः—

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से जाँच में पाया गया कि गृहकर की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक आंशिक वसूली की गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में भी हानि हुई है। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक गृहकर के रूप में ₹85700 पंचायत के राजस्व की वसूली हेतु शेष थी जिसकी अविलम्ब प्राप्ति सुनिश्चित की जाये।

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014—15	—	57600	57600	100	57500
2015—16	57500	57600	115100	89400	25700
2016—17	25700	64000	89700	4000	85700

7 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत रोकड़ रखने के कारण ₹0.13 लाख ब्याज की हानिः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार सचिव द्वारा एक हजार रूपये की राशि ग्राम पंचायत द्वारा उपगत किये जाने वाले अत्यावश्यक व्यय हेतु अग्रदाय के रूप में रखी जा सकती है। जाँच में पाया गया कि माह 4/2014 से 1/2016 के दौरान **"परिशिष्ट ग"** में दिये गये विवरणानुसार तत्समय के सचिव द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक रोकड़ हस्तगत रखी गई जिसके कारण ₹12657 की ब्याज के रूप में हानि हुई। इस प्रकार निर्धारित सीमा

से अधिक रोकड़ हस्तगत रखना अनियमित होने के साथ आपत्तिजनक भी है। अतः इसके सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ब्याज के रूप में हुई हानि की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा किया जाये।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹6.47 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रयः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) में स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट–घ की पद टिप्पणी–1"** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹647258 के स्टॉक/स्टोर का क्रय बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किये अर्थात निविदाएं आमन्त्रित किसे बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 ₹6.91 लाख के क्रय की भण्डारण प्रविष्टियाँ न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय किये गये स्टॉक/स्टोर का भण्डारण प्रविष्टियाँ किया जाना अपेक्षित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–घ** की पाद टिप्पणी–2 में दिये गये विवरणानुसार ₹690938 के क्रय की गई विविध वस्तुओं की भण्डारण प्रविष्टियाँ नहीं की गई जोकि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का रख–रखाव नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा आगामी अंकेक्षण के दौरान स्टॉक में प्रविष्टि दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय का लेखा–जोखा रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण ₹6.55 लाख के कार्य की वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि की जाँच सम्भव न हो पानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 के अनुसार विभिन्न संकर्मों के निष्पादन का ब्यौरा माप पुस्तिका में निर्धारित रीति के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है।। अंकेक्षण के दौरान अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 में विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित संकर्मों की माप पुस्तिकाएं प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण **परिशिष्ट–घ** पाद टिप्पणी–3 में दर्शाये गये भुगतान ₹655058 की

विभिन्न राशियों की मद वार वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि से जाँच सम्भव नहीं हो पाई और न ही विभिन्न संकर्मों में उपयोग किये गये सामान का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप संकर्म वार क्रय/जारी सामान की मात्रा की वास्तव में उपयोग अथवा शेष मात्रा से तुलनात्मक जाँच सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

11 ₹0.60 लाख के भुगतान के वाउचर प्रस्तुत न करनाः—

जाँच में पाया गया कि रोकड़ बही में ₹60255 का भुगतान विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों को निम्न विवरणानुसार किया हुआ दर्शाया गया परन्तु इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के व्यय प्रमाणक व वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीदें को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण इस राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत खाते में जमा किया जायेः—

दिनांक	रोकड़ बही पृ0सं0	वा0सं0	रोकड़ बही के अनुसार कार्य का नाम	रोकड़ बही में दर्ज भुगतान का विवरण	राशि
30.4.2014	03	12	करयाली मन्दिर में शौचालय का निर्माण	30 बैग सीमेन्ट का क्रय	6210
30.4.2014	03	13	—यथोपरि—	गाड़ी भाडा	600
12.9.2014	13	45	सामुदायिक भवन नारड का निर्माण	30 बैग सीमेन्ट का क्रय	6810
12.9.2014	13	46	—यथोपरि—	गाड़ी भाडा	1200
12.2.2015	29	शून्य	कार्यालय व्यय	कार्यालय व्यय	2500
2.6.2015	37	19	विवरण नहीं दर्शाया गया	विवरण नहीं दर्शाया गया	5675
2.6.2015	37	20	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1250
2.6.2015	37	21	—यथोपरि—	—यथोपरि—	11350
2.6.2015	37	22	—यथोपरि—	—यथोपरि—	2500
2.6.2015	38	शून्य	सामुदायिक भवन	—यथोपरि—	5675
2.6.2015	38	शून्य	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1250
2.6.2015	38	शून्य	आर0वाल जीतराम, द्राबला	—यथोपरि—	5675
2.6.2015	38	शून्य	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1250

2.6.2015	38	शून्य	नाग देवता मन्दिर के रास्ते का निर्माण	–यथोपरि–	3405
2.6.2015	38	शून्य	–यथोपरि–	–यथोपरि–	750
2.6.2015	38	शून्य	डी0जी0बी0आर0 से सड़क हूल का निर्माण	–यथोपरि–	3405
2.6.2015	38	शून्य	–यथोपरि–	–यथोपरि–	750
				कुल	**60255**

12 **सामान्य निधि खाता के अन्तर्गत हस्तगत रोकड़ में से ₹88595 मनरेगा खाता को हस्तांतरित करके भुगतान दर्शाना परन्तु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना तदोपरान्त बिल एम0आई0एस0 व एफ0टी0ओ0 के राशि की वापिसी दर्शानाः–**

जाँच में पाया गया कि दिनांक 12.2.2015 को बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के सामान्य निधि रोकड़ बही पृष्ठ 29 पर हस्तगत राशि में से ₹88595 मनरेगा खाते को हस्तांतरित की हुई दर्शाई गई तथा मनरेगा रोकड़ बही पृष्ठ 15 पर उक्त राशि की प्राप्ति की प्रविष्टि करते हुये प्रमाणक संख्या 159 से 176 के अन्तर्गत नकद भुगतान के रूप में विविध कार्यों हेतु राशि का व्यय दर्शाया गया परन्तु उपरोक्त व्यय प्रमाणकों में से कोई भी व्यय प्रमाणक व वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण भुगतान दर्शाई गई इस राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। माह 4/2015 से मनरेगा को ऑनलाईन किया गया तथा खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर द्वारा ही मनरेगा के अन्तर्गत होने वाली समस्त प्राप्तियों एवम अदायगियों को सुनिश्चित किये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की गई तथा मनरेगा के अन्तर्गत खोले गये बैंक खाता संख्या 44110107528 को बन्द कर दिया गया। दिनांक 24.9.2015 को मनरेगा रोकड़ बही पृष्ठ 24 पर उपरोक्त राशि एफ0टी0ओ0 के माध्यम से प्राप्त हुई दर्शाई गई परन्तु इसके सन्दर्भ में एम0आई0एस0 व एफ0टी0ओ0 सम्बन्धी अभिलेख को अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं किया और न ही ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत किया गया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उक्त राशि की वापसी कौन से बैंक खाते में किस माध्यम से प्राप्त की गई थी तथा साथ ही इस राशि के बिना किसी बैंक लेन देन के सामान्य रोकड़ बही के लिये हस्तांतरित दर्शाया गया परन्तु सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 55 पर वापिस प्राप्ति की प्रविष्टि दिनांक 29.2.2016 दर्शाई गई तथा पी/वाल मोहन लाल द्राबला, ऐम्बुलैन्स रोड भगाल व शौचालय द्राबला के निर्माण कार्यों के विरूद्ध क्रमशः ₹21584, ₹55741 व ₹11270 के रूप में इस राशि को व्यय किया हुआ दर्शाया गया तथा इन सभी भुगतानों को नकद में किया गया जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त राशि की वापसी नकद के रूप में की गई थी जिसे दिनांक 24.9.2015 से 29.2. 2016 तक हस्तगत रखा गया परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई परन्तु राशि किससे प्राप्त

की गई इस सम्बन्ध तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मनरेगा के अन्तर्गत किये गये व्यय के उक्त प्रमाणकों को अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत न करने व नकद राशि को वापिस प्राप्त करने का अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये जाये तथा इस तथ्य की पुष्टि की जाये कि क्या सामान्य रोकड़ बही की हस्तगत रोकड़ से मनरेगा के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का वास्तव में भुगतान किया गया अथवा नहीं यदि किया गया था तो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त क्यों नहीं की गई, राशि को किससे व किस माध्यम से कब वापिस प्राप्त किया गया तथा कितने दिन तक हस्तगत रखा गया तदोपरान्त अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

13 ₹1.5 लाख के अनुदान का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानो ंसे सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–च")** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक ₹150000 अनुदान की राशि उपयोग हेतु शेष थी। इस प्रकार से घन के अवरोधन व सरकारी योजनाओं से होने लाभ से लाभार्थियों को वंचित रखे जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

14 खाताबही व वर्गीकृत सार रजिस्टर तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1) व 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को शीर्ष/मद वार विहित प्रारूप–7 व 8 पर जमा की गई और प्रत्याहत रकम तथा आय व्यय का ब्यौरा रखा जाना अपेक्षित है। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रकार का अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि किस कार्य के लिये कितनी राशि स्वीकृत हुई थी तथा उस पर कितना व्यय किया गया जबकि रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि कुछ मदों/कार्यों के विरूद्ध बार–बार खर्च किया हुआ दर्शाया गया जिससे स्वीकृत राशि से अधिक राशि व्यय किये जाने की सम्भावना उत्पन्न होती है। अतः उपरोक्त अभिलेख को तैयार न करना अनियमित व आपत्तिजनक जिसे न बनाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये यथाशीघ्र अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाये तथा पूर्व कार्यों का विवरण भी उसमें प्रस्तुत किया जाये ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि किसी संकर्म में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया गया है।

15 एक हजार रूपये से अधिक संदायों का नकद में भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 17 के अनुसार एक हजार से अधिक का संदाय चैक के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकतर मामलों में एक हजार रूपये से अधिक के संदाये नकद में किये गये है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः जिसके सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में समस्त संदाय को नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।

16 अदायगी आदेश के बिना भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 (1) व (2) के अनुसार पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिये नकद या चैक द्वारा कोई भी संशय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुये संयुक्ततः हस्ताक्षरित या आद्याकक्षरित नहीं किया जाता है। भुगतान वाउचरों की जाँच पर पाया गया कि पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के साथ ही आपत्तिजनक भी है। अतः इस सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में सभी प्रमाणकों पर नियमानुसार भुगतान आदेश अंकित करने के उपरान्त ही अदायगी सुनिश्चित की जाये।

17 प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार पंचायत के भण्डार का प्रत्येक छः महीने बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करायें।

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है। समस्त लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर लिया गया है।

19 **निष्कर्षः–** लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

पृष्ठांकनसंख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(i)70/2017–खण्ड–1–7228–7231दिनाँक19.12.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.9.2017 के क्रम में पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत करयाली, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881